बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

संख्या– 1/स्थाप–5001/2007–387............../भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार नियोजन आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली, 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**
   (क) यह नियमावली **"बिहार नियोजन आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2014"** कही जा सकेगी।
   (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (ग) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
2. उक्त नियमावली 2008 का नियम–4 का उप नियम (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–
   "(क)आशुलिपिक ग्रेड–III की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आशुलेखन, कम्प्यूटर संचालन एवं टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी"।
3. उक्त नियमावली, 2008 के नियम–4 के उप नियम (घ) के बाद निम्नलिखित नया उप नियम (ङ.) जोड़ा जायेगा:–
   "(ङ.) संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए उनके द्वारा बितायी गयी अवधि का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गये दिशा–निदेशों के अनुसार अधिमान (वेटेज) दिया जायेगा"।

19.5.14
(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/स्थाप–5001/2007–387 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.5.14
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

/स्थाप–5001/2007 – 387 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

19.5.14
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Manoj Sir-p43

(29)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

संख्या– 1/स्थाप–5001/2007–387/अधिसूचना संख्या .... दिनांक–..................... का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Government of Bihar
Labour Resource Department
NOTIFICATION

Patna-15,dt.-

N0. 1/Esst-5001/2007.–387............../In exercise of Power conferred under proviso to Article-309 of the constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following amendment Rules to amend the Bihar Employment Stenographer/Steno-typist Cadre Rules, 2008.

1. **Short title, extent and commencement.-**
   (a) The Rules may be called as the Bihar Employment Stenographers/Steno-typists Cadre (Amendment)Rules-2014
   (b) It shall extend to whole of the State of Bihar
   (c) It shall come into force with immediate effect.
2. Sub rule (a) of Rule 4 of the said Rules 2008 shall be substituted by the following:-
   "(a) For appointment to the post of Steno-typist Grade-III minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent with knowledge of shorthand- writing, computer operation and computer typing".
3. The following new sub rule (e) shall be added after sub rule (d) of Rule 4 of the said Rules, 2008:-
   "(e) For those employees working on contract basis, the period spent by them shall be given due weightage in accordance with the guidelines given by the General Administration Department."

19.5.14

(Deo Nandan Yadav)
Joint Secereatary
Labour Resource Department
Bihar, Patna.

ज्ञापांक–1/स्थाप–5001/2007 –387 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Manoj Sir-p44

(28)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

"अधिसूचना"

संख्या-1/स्था0-5001/2007.........758 पटना, दिनांक- 26/5/08

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में आशुलिपिकों / आशुटंककों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय -1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-**

(1) यह नियमवाली " बिहार नियोजन आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली, 2008" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषा :-** इस नियमावली में, जब तक कोई बात संदर्भ में विरूद्ध न हो :-

(क) 'विभाग' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग;

(ख) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में कार्यरत आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग;

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना, तथा

(घ) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।

3. **संवर्ग का गठन :-**

(1) जो व्यक्ति, इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के नियोजन पक्ष तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक/आशुटंकक के पद पर नियुक्त एवं कार्य कर रहे है, स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।

(2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा ।

(3) विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों की संख्या का आकलन उनके स्वीकृत बल के आधार पर होगा ।

(4) आशुलिपिकों/आशुटंककों के स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर बढ़ायी या घटायी जा सकेगी ।

(5) आशुलिपिक/आशुटंकक के संवर्ग के पद सोपान निम्नरूपेण होंगे -

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान्	स्तर
क	ग्रेड III	4000-100-6000	मूल कोटि
ख	ग्रेड II	5000-150-8000	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
ग	ग्रेड I	5500-175-9000	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर